भारतीय जीवन बीमा निगम

विरूद्ध

राजस्थान राज्य व अन्य

1 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत व एस. एच. कपाडिया, न्यायाधीशगण]

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952:

राज्य के बाहर से टिकटों की खरीद - राज्य शासन को राजस्व की हानि - अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आदेश मांग की सूचना - की वैद्यता अभिनिर्धारित - चूंकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय प्रकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुये शीघ्र सुनवाई करें चूंकि उसमें शुल्क और उगाही की अनुमति के तरीके से संबंधित विषय समाहित है।

राजस्थान राज्य में स्थित अपीलार्थी निगम के कई संभागों द्वारा स्टाम्प महाराष्ट्र राज्य से क्रय किये गये। इससे प्रत्यर्थी राज्य को राजस्व की हानि हुई। तदनुसार, अतिरिक्त कलेक्टर ने मांग उठाते हुए अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र को रिट याचिका में चुनौती दी गई तथा उसके निरस्त किये जाने पर विशेष अपील उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष दायर की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निराकरण करते हुये राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस विवाद के निराकरण हेतु एक उच्च शक्ति कमेटी का गठन करें। कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया कि निगम राज्य सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। निगम ने विशेष अपील तथा अंतरिम आदेश के पुनरुद्धार के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मांग निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋण से अधिक नहीं है और निगम उक्त ऋण के विरूद्ध मांग की राशि को समायोजित कर सकता है।

निगम द्वारा प्रस्तुत अपील में उसकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम प्रत्यर्थी -राज्य द्वारा की गई मांग को अधिकृत नहीं करता है। दूसरी ओर प्रत्यर्थी - राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि राज्य के बाहर से टिकटों की खरीद अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध थी, और अपीलार्थी - निगम के अधिकारियों को केवल राजस्थान कोषागारों से टिकटें खरीदनी चाहिए थी।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया :

चूँकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस न्यायालय के लिए गुण - दोष के आधार पर मुद्दों पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यह उचित होगा यदि उच्च न्यायालय वसूली की अनुमति और अपनाए गए तरीके के संबंध में शामिल मुद्दों के महत्व पर विचार करते हुए मामले की तेजी से सुनवाई करे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय का निर्णय उच्च शक्ति समिति द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अप्रभावित रहेगा।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2007 की सिविल अपील सं. 413।

उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की युगल पीठ द्वारा एम. आर. ए. नंबर 204/2005 D.B.C.M.A क्र. 214/2005 D.B.S.A (याचिका) क्र. 670/2004 में अंतरवर्ती आदेश दिनांक 23.05.2005 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से टी. आर. अन्ध्यारूजिना व ए. वी. रंगम।

उत्तरदाताओं की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता, ए. एस. जी., नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद, शाश्वत गुप्ता व शिखा टंडन।

निर्णय द्वारा न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांकित 23.5.2005 आदेश को चुनौती दी गई है।

3. तथ्यात्मक संक्षिप्त स्थिति जो पर्याप्त होगी -

अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर (स्टाम्प) जयपुर के आदेश दिनांक 16.09.2004 तथा सूचना पत्र दिनांक 16.09.2004 को चुनौती देते हुये रिट याचिका प्रस्तुत की थी। राजस्थान राज्य द्वारा उठाई गई मांग कि अपीलार्थी द्वारा अन्य राज्य अर्थात महाराष्ट्र से टिकट खरीदकर राज्य सरकार को राजस्व हानि कारित की गई है। रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए विशेष अपील प्रस्तुत की। विशेष अपील के साथ - साथ स्थगन के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। विशेष अपील का निपटारा प्रत्यर्थी - राज्य को विवाद को हल करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन करने के निर्देश के साथ किया गया था। उच्च शक्ति समिति ने अपने आदेश दिनांक 27.4.2005 के द्वारा अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी, राजस्थान राज्य को रु. 576.72 लाख की

राशि के भुगतान हेतु उत्त्रदायी है। अपीलार्थी द्वारा विशेष अपील के पुनरुद्धार तथा उक्त अपील में दिये गये अंतरिम निर्देश हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि शुरू में आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया था, बाद में उसी को पुनर्जीवित किया गया था। उक्त आवेदन पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2004 के अपने आदेश में उल्लेख किया कि अपीलार्थी से रु. 1,19,75,000/- की गई मांग अपीलार्थी - निगम द्वारा राजस्थान राज्य को दिए गए अग्रिम ऋण से अधिक नहीं है। अपीलार्थी - निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋण के विरुद्ध अपनी मांग की राशि को समायोजित करने के लिए राजस्थान राज्य को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'अधिनियम') वास्तव में मांग को अधिकृत नहीं करता है जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी - राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उपरोक्त अधिनियम में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई की अनुमति देते हैं।

6. चूंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हमारे लिए गुण-दोष के आधार पर मामले में निर्णय लेना उचित नहीं होगा, हालांकि उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने इस संबंध में अनुरोध किया है। यह उचित होगा यदि उच्च न्यायालय वसूली की अनुमति और अपनाए गए तरीके के संबंध में शामिल विषयों के महत्व पर विचार करते हुए प्रकरण की शीघ्रतापूर्वक सुनवाई करे। निर्विवादित रूप से राजस्थान में अपीलार्थी - निगम के कई प्रभाग महाराष्ट्र से टिकट खरीदते हैं। राज्य सरकार का मत यह है कि राजस्थान के बाहर से डाक टिकटों की खरीद अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के विपरीत थी। यह विचार व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी - निगम के अधिकारी केवल राजस्थान कोषागारों से ही टिकट खरीदेंगे।

7. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह त्वरित निराकरण के लिए विशेष अपील पर विचार करे। उच्च न्यायालय से अगस्त, 2007 के अंत तक मामले के निराकरण की संभावना का पता लगाने का भी अनुरोध किया जाता है। यह व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय का निर्णय उच्च शक्ति समिति द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अप्रभावित रहेगा। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.10.2005 उच्च न्यायालय द्वारा मामले के निराकरण तक प्रभावशील रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नहीं माना जाएगा कि हमने पूर्व में उल्लिखित अंतरिम संरक्षण प्रदान करके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

तदनुसार अपील निराकृत की गई। खर्चो के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपील का निराकरण किया गया।

mohan p. tiwari